मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

116वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 09—02—2021

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 116वीं बैठक दिनांक 09–02–2021 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 116वीं बैठक कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 09–02–2021 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदया तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1.	श्री मृदुल चौधरी,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष।
2.	श्री के0 बालाजी,	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य।
3.	श्री मनीष बंसल,	नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य।
4.	श्री अतुल कुमार सिंह,	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग–8, लखनऊ।	सदस्य।
5.	श्री वी0के0कौशल,	उपायुक्त उद्योग, प्रभारी अपर निदेशक उद्योग, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।	सदस्य।
6.	श्री विजयपाल,	उप महा प्रबन्धक, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य।
7.	श्री कृष्ण मोहन यादव	अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, उ0प्रदेश जल निगम, मेरठ।	सदस्य।
8.	श्री राजीव कुमार,	अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, मेरठ प्रतिनिधि आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	सदस्य

9.	श्री एस0सी0गौड़,	चीफ को–आर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 गाजियाबाद प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, TCG/1-A-B5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010	सदस्य।
10.	श्री एस0सी0गौड़,	चीफ को–आर्डिनेटर प्लानर, प्रतिनिधि आयुक्त एन0सी0आर0 गाजियाबाद।	सदस्य।
11.	श्री नैन सिंह तोमर,	शासन द्वारा नामित सदस्य, गली नं0 01,मकान नं0 8, नेहरू नगर, गढ़ रोड़, मेरठ।	सदस्य।
12.	श्रीमती वर्षा कौशिक,	शासन द्वारा नामित सदस्य, के–03, के ब्लॉक, विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, शास्त्रीनगर, मेरठ।	सदस्य।
13.	श्री चरण सिंह लिसाड़ी,	शासन द्वारा नामित सदस्य, ग्राम व पोस्ट लिसाड़ी, मेरठ।	सदस्य।
14.	सुश्री प्रवीणा,	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक / सदस्य।

कोरम पूर्ण है। अतःएव अध्यक्ष महोदया द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये गये।

115वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–07–2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि–

माननीय बोर्ड द्वारा दिनांक 17–07–2020 को सम्पन्न 115वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

113वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14—08—2019 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन—

मद प्रसं0	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
09	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन शताब्दीनगर/ लोहियानगर में अनावंटित भवनों को यथा स्थिति में बल्क—सैल के अन्तर्गत विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत शताब्दीनगर योजना में निर्मित कराये जा रहे 570 भवनों एवं डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना में निर्मित कराये जा रहे 305 भवनों का रेरा में पंजीकरण निरस्त करा दिया गया है। आवश्यकतानुसार ऐड एजेन्सी हायर कर भवनों के निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा निर्देश दिये गये कि "जैसा है, जहाँ है" के आधार पर कॉस्टिंग सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
10	कैटिल कालोनी विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी समस्त योजनाओं में रिक्त पड़ी भूमि खोजी गयी, जहाँ पर प्रोपर ड्रेनेज सिस्टम उपलब्ध हो, किन्तु प्राधिकरण द्वारा विकसित समस्त योजनाओं में उक्त प्रकार की भूमि उपलब्ध नही हो पा रही है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कैटिल कालोनी का विकास नगर निगम सीमा के बाहर किया जाना है किन्तु प्राधिकरण के पास नगर निगम सीमा के बाहर	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। कैटिल कालोनी के विकास हेतु अन्य सभी विकल्पों पर विचार करते हुए प्रस्ताव आगामी बोर्ड में रखने के निर्देश दिये गये।

		कोई भूमि नहीं है। प्राधिकरण की योजनाओं हेतु अर्जित समस्त भूमि नगर निगम सीमा के अन्दर ही अवस्थितहै एवं आवासीय उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु अर्जित की गयी है।	

114वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14–08–2019 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–

मद सं0	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
03	मेरठ विकास क्षेत्र के अंतर्गत अनधिकृत निर्माणों पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के संबंध में।	मा0 बोर्ड के निर्देश के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही थी। वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा शमन कार्यवाहियों पर रोक के दृष्टिगत शमन की कार्यवाही नहीं की जा रही है।	अवलोकित।
04	वर्षा जल संचयन हेतु भवन निर्माण में डूअल पाईप वाटर सिस्टम को लागू किये जाने के संबंध में।	मा0 बोर्ड के निर्देश के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अद्यतन तक 5000 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल का मानचित्र प्राप्त नही हुआ है।	अवलोकित।

06	मै0 सुपरटैक लि0 की इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित डी.पी.आर. की स्वीकृति के संबंध में।	प्रकरण पृथक से बोर्ड के समक्ष **मद सं0 10** पर प्रस्तुत है।	मा0 बोर्ड का निर्णय 116वीं बोर्ड बैठक के मद सं0 10 पर उल्लिखित है।
07	मै0 सुपरटैक लि0 ग्रीन विलेज, हापुड़ बाईपास रोड़, मेरठ के तलपट मानचित्र में ग्राम नूरनगर एवं नंगला शेरखां उर्फ जैनपुर का व्यवसायिक भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन के संबंध में।	प्रकरण पृथक से बोर्ड के समक्ष **मद सं0 07** पर प्रस्तुत है।	मा0 बोर्ड का निर्णय 116वीं बोर्ड बैठक के मद सं0 07 पर उल्लिखित है।
12	आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाईजेशन (ए0डब्लू0एच0ओ0) से 3176.85वर्ग मीटर भूमि का EXCHANGE DEED निष्पादित करने के सम्बन्ध में।	मा0 बार्ड द्वारा गठित समिति द्वारा आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाईजेशन (ए0डब्लू0एच0ओ0) एवं मेरठ विकास प्राधिकरण के मध्य 3176.85 वर्ग मीटर के निष्पादित होने वाले EXCHANGE DEED पर आने वाले व्यय एवं निविदा सह नीलामी द्वारा विक्रीत भूमि से प्राप्त होने वाले मूल्य का आंकलन	मा0 बोर्ड द्वारा चर्चा उपरांत प्रस्तुत विकल्पों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखने के निर्देश दिये गये।

		किया गया और यह पाया कि उपरोक्त EXCHANGE DEED के निष्पादित किये जाने पर प्राधिकरण पर भूमि मूल्य सहित अंकन धनराशि रूपये 6,06,65,420/- का व्ययभार आयेगा जिससे मेरठ विकास प्राधिकरण को आर्थिक क्षति होगी। मा0 बोर्ड के समक्ष यह तथ्य भी रखना है कि रक्षापुरम योजना में ए0डब्लू0एच0ओ0 को आवंटित 73045.82 वर्ग मीटर भूमि के पीछे की ओर स्थित मेरठ विकास प्राधिकरण की 31,416 वर्ग मीटर भूमि ऐसी है जिस पर रक्षापुरम आवासीय योजना से कोई पहुँच मार्ग नहीं है जो एप्रोच रोड़ के अभाव में उक्त 31416 वर्ग मीटर भूमि अनुपयोगी पड़ी है। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त भूमि पर एप्रोच रोड़ के निर्माण हेतु आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाईजेशन (ए0डब्लू0एच0ओ0) एवं मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की दिनांक 15-11-2017 को सम्पन्न बैठक में 3176.85 वर्ग मीटर भूमि प्राधिकरण के समस्त खर्च वहन करने की शर्त पर	

		आदान–प्रदान करने की सहमति बनी। उपरोक्त के क्रम में प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित एप्रोच रोड़ निर्मित करने के लिये उपयोग में आने वाली 3176.85 वर्ग मीटर भूमि को कुल उपलब्ध भूमि में से कम करते हुए शेष 28239.15 वर्ग मीटर भूमि का बल्क में निस्तारण करने हेतु आवासीय बल्क भूमि की आरक्षित दर का, दिनांक 14–7–2003 को सम्पन्न 68वीं बोर्ड बैठक में पारित निर्णयानुसार, आंकलन करते हुए रूपये 8800/– प्रति वर्ग मीटर निर्धारित हुई और तत्पश्चात् समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर दिनांक 27–07–2018 को निविदा सह नीलामी का आयोजन किया गया जिसमें प्राप्त उच्चतम् दर रूपये 10,100/– प्रति वर्ग मीटर से यह भूमि श्री अनिल कुमार के पक्ष में आवंटित है जिस पर आवंटी–बिल्डर द्वारा रास्ते की माँग की जा रही है। समिति की परीक्षण आख्या के दृष्टिगत यदि आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाईजेशन	

		(ए0डब्लू0एच0ओ0) एवं मेरठ विकास प्राधिकरण के मध्य 3176.85 वर्ग मीटर भूमि का EXCHANGE DEED निष्पादित न किये जाने का निर्णय मा0 बोर्ड द्वारा लिया जाता है तो प्राधिकरण की प्रश्नगत भूमि पर न तो बिल्डर द्वारा विकास किया जा सकता है और न ही प्राधिकरण किसी रूप में उपयोग कर सकता है। अतः प्राधिकरण की प्रश्नगत आवासीय बल्क भूमि के सुनियोजित विकास व उपयोग हेतु 3176.85 वर्ग मीटर भूमि का EXCHANGE DEED निष्पादित किया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त के क्रम में प्रस्ताव है कि यदि रक्षापुरम योजना की उपरोक्त नीलामीशुदा आवासीय बल्क भूमि का आवंटी/बिल्डर, भूमि पर पहुँच मार्ग के निर्मित किये जाने पर भूमि मूल्य सहित समस्त व्यय, स्वयं वहन कर लेता है तो वह अपना आवंटन जारी रख सकता है अन्यथा निविदा–सह–नीलामी की शर्तों के अनुसार प्राधिकरण से अपनी जमा धनराशि, बिना ब्याज बिना कटौती के वापस ले सकता है। बिल्डर द्वारा जमा धनराशि का भुगतान स्वीकार	

		करने पर, प्राधिकरण इस आवासीय बल्क भूमि का स्वयं विकास कर अपनी योजनानुसार स्वयं निस्तारित कर सकता है।	
18	प्राधिकरण की विकसित योजनाओं में बल्क में आवंटित भूमि पर निजी विकासकर्ता/ लाईसेन्सी एवं बिल्डर द्वारा विकसित की गई कालोनी के अनुरक्षण मद में शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा बिल्डर/विकासकर्ता से अनुरक्षण शुल्क वसूली के लिये दिये गये निर्देश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों के आस-पास निजी विकासकर्ताओं से एस0टी0पी0 के अनुरक्षण शुल्क के मद में प्राधिकरण द्वारा जारी अकंन धनराशि रूपये 1,13,64,993/- की देयता के सापेक्ष धनांक रूपये 18,29,072/- प्राप्त हुए है। शेष धनराशि की वसूली हेतु प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा रही है तथा प्राधिकरण द्वारा अपनी योजनाओं में लाईसैंस के आधार पर आवंटित भूमि पर बिल्डर द्वारा विकसित कालोनी के आवंटियों से विक्रय विलेख के पंजीयन के दिनांक से अनुरक्षण शुल्क एवं समानुपातिक व्यय की वसूली की जा रही है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

115वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–07–2020 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–

1.	वित्तीय वर्ष 2019–20 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 का प्रस्तावित आय–व्ययक।	मा0 बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में प्रधानमन्त्री योजनान्तर्गत दर्शायी गयी प्रविष्टियों का परीक्षण कर लिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्रधानमन्त्री योजना के अन्तर्गत अंकन धनराशि रूपये 233.472 लाख मिलना सम्भावित है। तद्नुसार बजट में प्रविष्टियां कर ली गयी है। ट्रान्सपोर्ट नगर योजना की भूमि के अधिगृहण/जुटाव के लिये कृषकों से वार्ता की जा रही है। आवश्यकतानुसार आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में धनराशि का प्रावधान कर लिया जायेगा।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
2.	मेरठ विकास प्राधिकरण की 108वीं बोर्ड बैठक में पारित निर्णय के अनुपालन में दिनांक 29–01–2020 को नगर निगम मेरठ को हस्तगत की गयी 04 योजनाओं (वेदव्यासपुरी, सैनिक विहार, रक्षापुरम व मेजर ध्यानचन्द	मा0 बोर्ड के निर्णय का अनुपालन किया जा चुका है।	अवलोकित।

	नगर) में लागू की गयी जिलाधिकारी की आवासीय सर्किल दरों के सम्बन्ध में प्रस्ताव।		
4.	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित कराये जा रहे भवनों के सम्बन्ध में।	मा0बोर्ड के निर्णय के क्रम में अनुपालन कराया जा रहा है।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। मा0 बोर्ड द्वारा चरणबद्ध रूप से भवनों का निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
5.	उ0प्र0 वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 में परिभाषित निजी लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक्स ईकाईयों को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: I/1981/2020 दिनांक: 17.02.2020 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में प्रस्ताव **मद सं0 01** पर प्रस्तुत है।	मा0 बोर्ड का निर्णय 116वीं बोर्ड बैठक के मद सं0 01 पर उल्लिखित है।

6.	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग–इन पार्टनरशिप) (वर्ष 2018–2021) के संबंध में जारी शासनादेश दिनांक 18.03.2020 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।	शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।	अवलोकित।
7.	मेरठ महायोजना 2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स में पेट्रोल / डीजल / सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन ग्रामीण आबादी भू–उपयोग में अनुमन्य किये जाने हेतु मेरठ महायोजना 2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स में संशोधन किये जाने के संबंध में।	प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।	अवलोकित।
8.	ट्रान्सपोर्ट नगर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में भूमि	राजस्व ग्राम पॉचली खुर्द की बागपत रोड स्थित भूमि पर न्यू ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु 115वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–07–2020 के मद सख्या–08 पर प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा निर्देश दिये कि वर्तमान में महायोजना–2031 तैयार किये जाने

	अर्जन/जुटाव का प्रस्ताव।	गया। प्रस्ताव पर पारित निर्णय के अनुपालन में गठित समिति द्वारा कृषकों से वार्ता की जा रही है।	का कार्य प्रगति पर है, साथ ही ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। अतः नई महायोजना में उपयुक्त स्थल पर ट्रान्सपोर्ट नगर का प्रस्ताव किया जाये।
9.	ग्राम जीतपुर, परगना दौराल, तहसील सरधना, जिला मेरठ के खसरा संख्या–385/2, 386, 387/2 के कुल क्षेत्रफल 10960.00 वर्ग मी0 पर बायो सी.एन.जी. एवं बायो फर्टिलाईजर प्लान्ट की स्थापना हेतु मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।	प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र नियमानुसार न होने के कारण निरस्त किया जा चुका है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
10.	पटेल नगर, मेरठ के भूखण्ड संख्या–160, कुल क्षेत्रफल 2132.60 वर्ग मी0 पर पुरूषोत्तम दास टण्डन हिन्दी भवन समिति (पंजी0)	मा0 बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में प्रस्ताव **मद सं0 02** पर प्रस्तुत है।	मा0 बोर्ड का निर्णय 116वीं बोर्ड बैठक के मद सं0 02 पर उल्लिखित है।

	द्वारा 'समाज कल्यांण केन्द्र' के निर्माण की मानचित्र प्रस्तावना MAP2018101212232300 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।		
11.	प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ द्वारा जारी "वन टाईम सेटलमेन्ट योजना (ओ0टी0एस योजना) 2020 के संचालन के सम्बन्ध में" जारी शासनादेश सं0 8/2020/278/आठ–1–20–01विविध/2000 दिनांक 07–02–2020 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	शासन के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत ओ0टी0एस0 योजना–2020 के अन्तर्गत 2031 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है जिनमें से 1499 आवेदन पत्र निस्तारित किये जा चुके है। इन आवेदन पत्रों के निस्तारण से 109.00 करोड़ की धनराशि आंकलित हुई है जिसमें से 64.76 करोड़ रूपये आवेदकों द्वारा जमा किये जा चुके है। शेष आवेदन पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही प्रगति पर है।	अवलोकित।
12.	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में रिक्त फ्लैटस्/भवन/विलॉज की दिनांक 31–03–2020 को	मा0 बोर्ड के निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है।	अवलोकित।

	लागू कीमतें रियल एस्टेट में चल रही आर्थिक मंदी के फलस्वरूप विक्रय न होने के कारण दिनांक 31–03–2021 तक फ्रीज़ किये जाने हेतु प्रस्ताव।		
13.	हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित आवंटियों के भवनों/भूखण्डों का प्राधिकरण की योजनाओं में उपलब्ध सम श्रेणी के फ्लैटस् में समायोजन के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में प्रस्ताव **मद सं0 03** पर प्रस्तुत है।	मा0 बोर्ड का निर्णय 116वीं बोर्ड बैठक के मद सं0 03 पर उल्लिखित है।
14.	प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना में अर्द्धनिर्मित उपाध्यक्ष आवास के सम्बन्ध में	मा0 बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में प्रस्ताव **मद सं0 04** पर प्रस्तुत है।	मा0 बोर्ड का निर्णय 116वीं बोर्ड बैठक के मद सं0 04 पर उल्लिखित है।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से 115वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–07–2020 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव पर निर्णय–			
1	अनाधिकृत / अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु शमन योजना–2020 लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0–MS / 09 / आठ–03–20–2 34विविध / 2017 टी.सी. दिनांक 15–07–2020 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जा रही थी किन्तु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा शमन नीति 2020 पर रोक लगा देने के कारण वर्तमान में शमन की कार्यवाहियाँ नहीं की जा रही है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

116वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–01–2021 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–

मद सं0	विषय	निर्णय
1.	उ0प्र0 वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 में परिभाषित निजी लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक्स ईकाईयों को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: I / 19813 / 2020 दिनांक: 17.02.2020 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा उ0प्र0 वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी अधिसूचना अंगीकृत की गयी।

2.	पटेल नगर, मेरठ के भूखण्ड संख्या–160, कुल क्षेत्रफल 2132.60 वर्ग मी0 पर पुरूषोत्तम दास टण्डन हिन्दी भवन समिति (पंजी0) द्वारा 'समाज कल्यांण केन्द्र' के निर्माण की मानचित्र प्रस्तावना MAP2018101212232300 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
3.	हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित आवंटियों के भवनों/भूखण्डों का प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध सम श्रेणी के विलॉज/फ्लैटस में समायोजन के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा पूर्व में समायोजित किये गये प्रकरणों का अध्ययन कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
4.	प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना में अर्द्धनिर्मित उपाध्यक्ष आवास के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये गये कि अर्द्धनिर्मित भवन को "कॉम्यूनिटि सेन्टर" एवं अन्य अनुमन्य क्रियाओं के रूप में उपयोग किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव आगामी बोर्ड में रखा जाये।
5.	शासन द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन किये जाने हेतु जारी शासनादेश संख्या–4384/8–3–11–181विविध/2008 दिनांक 27.09.2011 के क्रम में होटल को पार्क एवं खुले स्थल, बाग–बगीचे, हरित क्षेत्र, वन क्षेत्र, संकटमय उद्योग, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, आदि भू–उपयोगों को छोड़कर अन्य	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	समस्त भू–उपयोगों में प्रभाव शुल्क को आरोपित न करते हुए अनुमन्य किये जाने हेतु महायोजना 2021 जोनिंग रेगुलेशन में संशोधन किये जाने के संबंध में।	
6.	खसरा संख्या–139/1 ग्राम कुण्डा, बाईपास रोड़, मेरठ पर 'बजट होटल' के निर्माण की मानचित्र प्रस्तावना MAP20180806143828253 की स्वीकृति के संबंध में	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
7.	मैसर्स सुपरटैक लि0 ग्रीन विलेज, हापुड बाई पास रोड, मेरठ के तलपट मानचित्र में ग्राम–नूर नगर एवं नंगला शेर खां उर्फ जैनपुर का व्यवसायिक भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त विस्तृत परीक्षण कर, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
8.	ग्राम–समौली परगना दौराला तहसील व जिला मेरठ के खसरा संख्या 891, 892, 893 व 894 कुल भूमि क्षेत्रफल 22790.00 वर्ग मी0 पर समाजवादी अर्फोडेबल हाउसिंग योजनान्तर्गत मैसर्स प्रतीक डीलकॉम द्वारा प्रस्तावित मानचित्र संख्याः 952/16 निरस्त होने के कारण उक्त भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के निरस्तीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
9.	ग्राम अलीपुर जिजमाना मेरठ के खसरा संख्या–55ए, 55बी, 56ए, 56बी, 57, 59, 60, 64, 70, 81 व 82 कुल क्षेत्रफल 60208.83 वर्ग मी0 भूमि पर कृषि भू–उपयोग में कृषि ऊपज आधारित उद्योग (इन्टीग्रेटिड मीट प्रोसेसिंग प्लान्ट) की विशेष अनुमति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा समिति की आख्या पर सहमति व्यक्त की गयी तथा तदानुसार प्राधिकरण स्तर से अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

10.	मै0 सुपरटैक लि0 की इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित डी.पी.आर. की स्वीकृति के संबंध में।	मा0 बोर्ड द्वारा शासन द्वारा गठित समिति की परीक्षण आख्या में उल्लिखित शर्तो के अनुपालन के साथ–साथ भू–उपयोग परिवर्तन मद में बकाया देय धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान, दिनांक 31 मार्च, 2021 तक करने की शर्त के साथ डी0पी0आर0 अनुमोदित की गयी।
11.	विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ताओं की फीस के निर्धारण/पुनरीक्षित के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त आर्बिटेशन वाद में अधिवक्ता की फीस रूपये 5500/– के स्थान पर 7500/– तथा मा0 आयुक्त न्यायालय में फीस यथावत् रूपये 7,000/– रखे जाने के निर्देश के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मा0 अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रस्तुत अनुपूरक पर निर्णय–

अनुपूरक मद सं0	विषय	निर्णय
1.	श्री पुनीत जैन के खसरा संख्या: 417मि0 व 418 मि0 ग्राम–गगोल, मेरठ की 1.2230 हैक्ट0 भूमि का मेरठ महायोजना–2021 के अनुसार 'वन क्षेत्र' भू–उपयोग से 'औद्योगिक' भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(प्रवीणा)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(मृदुल चौधरी)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(अनीता सी0 मेश्राम)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।